जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर
दीवानी वाद संख्या 28 / 2025 (442 / 2016)
मंजू देवी बनाम रवि शंकर मिश्रा व अन्य
एन.सी.वी नम्बर 28 / 2025

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
30.10.2025	अधिवक्ता पक्षकारान् उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह उपस्थित नहीं है, ना ही शपथ पत्र पेश किये है। अधिवक्ता प्रतिवादी अवसर चाहते है। चूंकि प्रकरण न्यायालय के सर्वाधिक पुराने प्रकरणों मे सें होकर न्यायालय लक्षित प्रकरणों की सूची में है, जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में शीघ्र विचारण किया जाना अपेक्षित है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी हेतु एक अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि प्रतिवादीगण जिन गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित करवाना हो उनके मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्रों की नकल विरोधी पक्ष को तारीख पेशी से पूर्व उपलब्ध करवाते हुए गवाहान को अव्वल वक्त पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखें ताकि अनावश्यक स्थगन से बचा जा सके। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 07.11.2025 को पेश हो।	